प्रेस विज्ञप्ति

19-03-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग (जनजातीय कल्याण विभाग) के पूर्व उप निदेशक जगदीश प्रसाद सरवते के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर में 18.03.2026 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। बुलाए जाने पर जगदीश सरवते माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अभियोजन शिकायत और संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) की धारा 13(1)(बी) सह पठित 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 111/2025 के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप है कि जगदीश प्रसाद सरवते ने लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए 01.01.2015 से 20.06.2025 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की थी और बाद में अवैध नकदी को बैंकिंग प्रणाली में डालकर और भोपाल, मंडला, उमरिया और सिवनी जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण में निवेश करके उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

ईडी ने अपराध से प्राप्त कुल आय लगभग 11.81 करोड़ रुपये की पहचान की है, जो उन संपत्तियों का मूल्य है जिनमें अवैध धन का निवेश और एकीकरण किया गया था। तदनुसार, फरवरी 2026 में समतुल्य मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया था।

ईडी की जांच से यह सिद्ध हो चुका है कि जगदीश प्रसाद सरवते ने जानबूझकर अपराध की आय अर्जित की, उसे अपने पास रखा, छुपाया और उसका उपयोग किया तथा उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया, जिससे उन्होंने पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध किया, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।